

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर राशमी(पीपसीन अधिकारी कैम्प कॉर्ट) कैम्प :- भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र प्रो.डा.न.।...प्रशासन गांवों के संग  
अभियान-2021प्रशासन गांवों के संग  
अभियान-2021

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" के आवेदन पत्र एवं रिपोर्ट पटवारी पटवार हल्का ..प्र.डा.न.।... प्र०सं० :- 313/2021 तथा तहसीलदार राशमी की राजस्व अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में मौजा लसाडिया... तहसील राशमी व जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत 1956 के खाता संख्या 105/103/106 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिये जाते है :-

क्र. सं.	मौजा	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>लसाडिया</u> <u>कुड</u>	<u>104</u> <u>105</u> <u>103</u> <u>106</u>	<u>श्री काबूराम पुत्र मोगी लाल</u>	<u>श्री काबूराम पुत्र मोगी लाल</u>



(नीता मिस्री)  
सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
राशमी

क्रमांक: सरिश्ता/5-11(313)2021 दिनांक :- 31/12/2021  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, राशमी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री काबूराम पुत्र मोगी लाल को सूचनार्थ।

(नीता मिस्री)  
सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
राशमी

YK  
YK